

विचार बिन्दु

सत्प्रथम इस लोक की चिंतामणि नहीं उनके अध्ययन से सारी कुचिंताएं मिट जाती हैं। संशय पिशाच भाग जाते हैं और मन में सद्भाव जागृत होकर परम शांति प्राप्त होती है। -अज्ञात

पेंशन के लिए पैसा नहीं, मुफ्त की रेविडियों के लिए खजाना खुला है - राजस्थान के विश्वविद्यालय पेंशनरों के साथ अन्याय कब तक?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा- पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचो, 'लाइकी बहन' जैसी योजनाएं बंद करो। अदालत का यह आदेश केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा। पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, 43000 करोड़ रु. की लाइकी बहन जैसी योजना बंद करें-बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई ने स्पष्ट और सख्त शब्दों में कहा है कि फंड की कमी का बहाना बनाकर सरकार या नगर निगम प्रशासन पेंशन और बकाया लाभों का भुगतान टाल नहीं सकता। अदालत ने यहां तक कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो गैर-जरूरी योजनाएं बंद करें या दफ्तरी की संपत्ति बेचें, लेकिन कर्मचारियों को उनका हक जरूर दें।

यह टिप्पणी सातवें वेतन आयोग लागू होने से पेंशनरों के सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। मुंबई नगर निगम के शिक्षा विभाग में कार्यरत रही एक महिला कर्मचारी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा तब खटखटाया, जब सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन और अन्य वैधानिक लाभ नहीं मिले। बार-बार आग्रह के बावजूद नगर निगम और सरकार की ओर से केवल फंड की कमी का हवाला दिया जा रहा था, जिससे उनका जीवनयापन कठिन हो गया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासन की दोहरी नीति पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब अतिरिक्त आयुक्तों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार पूरा वेतन मिल सकता है, तब शिक्षकों और कर्मचारियों के मामले में अचानक फंड की कमी क्यों आना जाती है। कोर्ट ने कहा कि जब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का समय आ चुका है, तब भी सातवें वेतन आयोग लंबित रखना गंभीर लापरवाही है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार के पास सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन देने के लिए धन नहीं है, तो उसे 'लाइकी बहन' जैसी योजनाएं बंद करने पर विचार करना चाहिए। कर्मचारियों का वेतन और पेंशन कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि उनका कानूनी अधिकार है।

यह टिप्पणी राजस्थान सरकार और यहां के सभी विश्वविद्यालयों के लिए आईना है। यह खबर राजस्थान के विश्वविद्यालय पेंशनरों का दर्द बयान करती है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के पेंशनर 12 दिन से घरने पर हैं। 42.6 डिग्री तापमान में न छाया, न पानी की व्यवस्था। नतीजा-बार-बार बुजुर्ग बहोश होकर मिर पड़े। ओआरएस और दवाइयों से प्राथमिक उपचार करना पड़ा। पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रो. रामनिवास शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि किसी को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार होंगी।

सवाल यह है-नौबत यहां तक क्यों आई? विश्वविद्यालय की सालाना आय 76 करोड़ है, जबकि खर्च 121 करोड़। यानी हर साल 45 करोड़ का घाटा। 1,475 पेंशनरों को सालाना 105 करोड़, यानी हर महीने 8.75 करोड़ रुपये पेंशन देने की पड़ रही है। पिछले 8 वर्षों में 16 बार आंदोलन हो चुके हैं, पिछले वर्ष जुलाई में 92 दिन लगातार आंदोलन हुआ। फिर भी हर दूसरे महीने घरना देना पड़ रहा है।

अच्छी बात है कि गरीबों को राहत मिले, लेकिन क्या यह राहत उन लोगों का हक मारकर दी जा रही है जिन्होंने जीवन भर सेवा की? कृषि विश्वविद्यालयों में स्थिति और भी गंभीर है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में 22 महीनों की पेंशन बकाया है। महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत के स्थान पर केवल 12 प्रतिशत दिया जा रहा है, वह भी अदालत के हस्तक्षेप के बाद। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही, सातवें वेतन आयोग का एरियर लंबित है, 70 और 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही, कम्प्यूटेड पेंशन पर रोक है।

अच्छी बात है कि गरीबों को राहत मिले, लेकिन क्या यह राहत उन लोगों का हक मारकर दी जा रही है जिन्होंने जीवन भर सेवा की? कृषि विश्वविद्यालयों में स्थिति और भी गंभीर है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में 22 महीनों की पेंशन बकाया है। महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत के स्थान पर केवल 12 प्रतिशत दिया जा रहा है, वह भी अदालत के हस्तक्षेप के बाद। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही, सातवें वेतन आयोग का एरियर लंबित है, 70 और 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही, कम्प्यूटेड पेंशन पर रोक है।

विडंबना यह है कि वर्तमान कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को 12-42 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। यह केवल वित्तीय संकट नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता का प्रमाण है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह पैसा आता कहाँ से है? यह पैसा इमानदार टैक्सपेयर की जेब से आता है-वह मध्यम वर्ग जो सुबह 9 से शाम 6 तक मेहनत करता है, इनकम टैक्स देता है, जोएसटी देता है। जब सरकार उसी पैसे से मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, नकद सहायता बांटती है, तो विकास के कार्यों में कटौती होती है। सड़कें टूटती हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, नहरों में पानी नहीं-क्योंकि पैसा रेविडियों बांटने में खर्च हो रहा है। क्या यह टैक्सपेयर के साथ ठगवट नहीं है? उसने टैक्स इसलिए दिया था कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे-न कि वोट बैंक बनाने के लिए पैसा बांटा जाए। मुफ्तखोरी समाज को आलसी बना रही है। युवा वर्ग में यह मानसिकता बन रही है कि सरकार देगी तो काम क्यों करें? यह राष्ट्र की उत्पादकता पर सीधा प्रहार है। स्वाभिमान से काम करके खाने की संस्कृति खत्म हो रही है और सरकार पर निर्भरता बढ़ रही है।

समाधान भी स्पष्ट है। सबसे पहले, पेंशन और वेतन को प्राथमिकता दी जाए-यह कोई नया नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है। दूसरे, फिजूलखर्ची पर रोक लगे-यदि पेंशन के लिए पैसा नहीं है तो गैर-जरूरी योजनाएं बंद हों। तीसरे, जवाबदेही तय हो-विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाए। उनके खर्चों में कटौती कर पेंशन दी जा सकती है।

अब सरकार को तय करना है-लोकप्रियता या न्याय? वोट बैंक या राष्ट्र निर्माण? मुफ्तखोरी या स्वाभिमान? बॉम्बे हाईकोर्ट ने रास्ता दिखा दिया है। अब राजस्थान सरकार और विश्वविद्यालयों को निर्णय लेना है कि वे कुर्सी-टेबल बेचें या पेंशनरों के आंसू पोंछें। क्योंकि जिस देश में गुरु भूख के कगार पर हो और मुफ्त की रेविडियां बांटी जाएं, उस देश का भविष्य अंधकारमय होता है।

अंततः यह केवल आर्थिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों का प्रश्न है। जिस समाज में अपने शिक्षकों और वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़े, वहां विकास अधूरा रह जाता है। समय आ गया है कि सरकार यह तय करे-क्या वह रेवडी संस्कृति को बढावा देगी या उन लोगों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करेगी, जिन्होंने जीवन भर राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है।

-अतिथि सम्पादक,

प्रो. पी. सी. कंठालिया,
पूर्व विभागाध्यक्ष एवं मुख्य मुद्रा वैज्ञानिक,
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय, उदयपुर

लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाना और को परिसीमन - राज्यों के शक्ति संतुलन को बचाकर न्यायसंगत प्रतिनिधित्व कैसे हो



महावीर सिंह

16,17 अप्रैल 26 को लोकसभा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बहस हुई। अवसर था नारी शक्ति को लोकसभा, विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व देना। वैसे तो महिलाओं के लिए ऐसा संविधान संशोधन पहले किया जा चुका था किंतु राम, जाने उसे तत्काल लागू क्यों नहीं किया गया था? क्या उसी संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं किया जा सकता था? लेखक के अनुसार किया जा सकता था, कोई बाधा नहीं थी। इसे अनावश्यक रूप से जनगणना और डिलिमिटेशन से जोड़ा गया।

ऐसा क्यों किया गया? इस पर संसद में व्यापक चर्चा हो चुकी है। उसे दोहराने का कोई अर्थ नहीं होगा। सत्ता पक्ष महिलाओं का बड़े पैमाने पर समर्थन चाहता है और इस की आड़ में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों को मनमर्जी से पुनर्गठित करना चाहता था, ऐसा लगभग सम्पूर्ण विपक्ष का कहना था। निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन में, यदि आयोग निष्पक्षता से काम नहीं करे तो सत्ता पक्ष की इच्छाओं के अनुसार पटवार मंडलों, गिरदारण हलकों को इस ढंग से निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ और हटा सकता है जो एक बार तो सत्तापक्ष का पलड़ा भारी कर ही सकता है।

परिसीमन यानी लोकसभा और विधानसभा सीटों का फिर से बंटवारा 2026 के बाद का सबसे बड़ा लोक-तुल्यता खोजनाओं के लिए खजाना हमेशा खुला रहता है, लेकिन जिन शिक्षकों ने 35-40 साल तक राष्ट्र निर्माण किया, उनकी पेंशन के लिए फंड की कमी का रोना रोया जाता है। राज्य में अनेक योजनाएं चल रही हैं-लाइको प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, युवा स्वरोजगार योजना, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मुफ्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुफ्त बिजली योजना-इन पर हर साल 40-50 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय पेंशनरों के लिए 550 करोड़ रुपये नहीं हैं।

अच्छी बात है कि गरीबों को राहत मिले, लेकिन क्या यह राहत उन लोगों का हक मारकर दी जा रही है जिन्होंने जीवन भर सेवा की? कृषि विश्वविद्यालयों में स्थिति और भी गंभीर है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में 22 महीनों की पेंशन बकाया है। महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत के स्थान पर केवल 12 प्रतिशत दिया जा रहा है, वह भी अदालत के हस्तक्षेप के बाद। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही, सातवें वेतन आयोग का एरियर लंबित है, 70 और 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही, कम्प्यूटेड पेंशन पर रोक है।

विडंबना यह है कि वर्तमान कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को 12-42 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। यह केवल वित्तीय संकट नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता का प्रमाण है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह पैसा आता कहाँ से है? यह पैसा इमानदार टैक्सपेयर की जेब से आता है-वह मध्यम वर्ग जो सुबह 9 से शाम 6 तक मेहनत करता है, इनकम टैक्स देता है, जोएसटी देता है। जब सरकार उसी पैसे से मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, नकद सहायता बांटती है, तो विकास के कार्यों में कटौती होती है। सड़कें टूटती हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, नहरों में पानी नहीं-क्योंकि पैसा रेविडियों बांटने में खर्च हो रहा है। क्या यह टैक्सपेयर के साथ ठगवट नहीं है? उसने टैक्स इसलिए दिया था कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे-न कि वोट बैंक बनाने के लिए पैसा बांटा जाए। मुफ्तखोरी समाज को आलसी बना रही है। युवा वर्ग में यह मानसिकता बन रही है कि सरकार देगी तो काम क्यों करें? यह राष्ट्र की उत्पादकता पर सीधा प्रहार है। स्वाभिमान से काम करके खाने की संस्कृति खत्म हो रही है और सरकार पर निर्भरता बढ़ रही है।

समाधान भी स्पष्ट है। सबसे पहले, पेंशन और वेतन को प्राथमिकता दी जाए-यह कोई नया नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है। दूसरे, फिजूलखर्ची पर रोक लगे-यदि पेंशन के लिए पैसा नहीं है तो गैर-जरूरी योजनाएं बंद हों। तीसरे, जवाबदेही तय हो-विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाए। उनके खर्चों में कटौती कर पेंशन दी जा सकती है।

-अतिथि सम्पादक,

प्रो. पी. सी. कंठालिया,
पूर्व विभागाध्यक्ष एवं मुख्य मुद्रा वैज्ञानिक,
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय, उदयपुर

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की सदस्य संख्या तय की गई है। प्रथम लोकसभा के लिए, 1950 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर औसतन एक सीट प्रति 7,20,000 जनसंख्या का आधार लिया गया था। पूरे देश के लिए कुल 401 निर्वाचन क्षेत्र बने और इस आधार पर पहला सार्वभौम वयस्क मतधिकार वाला चुनाव हुआ। 1951 जनगणना के आधार पर हुए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीटें बढ़कर 494 हो गईं। 1963 में परिसीमन आयोग ने 1961 जनगणना के आधार पर और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन सीटें बढ़कर 522 हुईं। 1971 जनगणना के बाद सीटें बढ़कर 543 हुईं और यही संख्या है।

1976 के 42वें संशोधन ने 1971 जनगणना के आधार पर सीटों का राज्य-वार आवंटन फ्रीज कर दिया। इसे 2001 में 84वें संशोधन द्वारा 2026 तक बढ़ाया गया। 2002 Delimitation ने सीटों की कुल संख्या नहीं बदली, सिर्फ सीमाएं समायोजित कीं।

यह भी याद रखना होगा कि भारतीय संविधान में दूसरे संशोधन, 1952 की के द्वारा 'not less than one member for every 750,000 of the population and' हटा दिया गए और इस प्रकार 7,50,000 की अधिकतम सीमा पूरी तरह हटा दी गई। केवल 5,00,000 की कम से कम जनसंख्या सीमा बनी रही जिसे भी बाद के संशोधनों में हटा दिया।

वर्तमान में कुछ प्रांतों की सीटों की स्थिति पर विचार करें। लोकसभा में 543 में से उत्तर प्रदेश के 80, बिहार 40, महाराष्ट्र 48 सीटें, तमिलनाडु 39, केरल 20 सीटें और राजस्थान में उत्तर प्रदेश के 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, केरल 9 सदस्य हैं। आंशिक है कि 2026 के बाद अगर केवल जनसंख्या आधार माना तो बड़-बिहार की लोकसभा सीटें 200 पर कर सकती हैं। तमिलनाडु-केरल की सीटें अनुपातिक रूप से घटेंगी। इससे जिन राज्यों ने परिवार नियोजन लागू किया, उन्हें 'सजा' मिलेगी और राज्यों के केंद्र के तथा आपस में राज्यों के बीच अविश्वास बढ़ेगा। देश के संविधान में उल्लेखित संघवाद की भावना क्षीण होगी।

संविधान क्या कहता है अनुच्छेद 81: लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में होगा। अनुच्छेद 82: हर जनगणना के बाद परिसीमन होना है, पर 42वां और 84वां संशोधन कर 2026 तक इसे टाल दिया गया। अनुच्छेद 80: राजस्थान राज्यों का सदस्य है, पर सदस्य संख्या जनसंख्या पर आधारित है। संविधान 'जनसंख्या' और 'संघीय संतुलन' दोनों की बात करता है। इसलिए इस गंभीर प्रश्न पर अत्यंत गंभीरता पूर्वक मनन किया जाकर देश हित में निर्णय आवश्यक है। जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मान्यता भी मिले और राज्यों के बीच संघीय संतुलन को कायम रहे। किसी राज्य को यह नहीं लगाना चाहिए कि उसे प्रगतिशील नीतियों के सफल क्रियान्वयन करने की सजा मिल रही है। इसके साथ ही संघीय आय व राजस्व में पिछड़े, विशेष समस्याओं वाले राज्यों का उचित खयाल रखा जाए।

इस संबंध में कई प्रस्ताव विभिन्न राजनीतिक दलों व नेताओं, स्वतंत्र विचारकों, संविधान के ज्ञाताओं के विचार संसद में, समाचार पत्रों में, टीवी चैनल पर सामने आए हैं। एक प्रस्ताव है ---राज्यसभा में हर राज्य से 5,7 सांसद हों अर्थात् राज्य सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार न हो। राज्य सभा 'राज्यों का सदन' है। उदाहरणार्थ अमेरिका की सीनेट में हर राज्य से 2 सदस्य होते हैं, चाहे कैलिफोर्निया हो या अलास्का। इससे छोटे राज्यों को संघ में बराबरी मिलती है।

क्या भारत में इस पर, किसी अन्य प्रकार से विचार किया जा सकता है? एक आधार हो सकता है, 250 सीटों में से हर राज्य को 1 या 2 या 3 सीटें कुल 36/72/108 सीटें मिलें। वर्तमान संख्या 350 में से बाकी 214 /178/142 सीटें क्षेत्रफल 25%, राजस्व योगदान 25%, मानव विकास सूचकांक 25%, अनुसूचित क्षेत्र/सीमावर्ती 25% के आधार पर बांटी जा सकती है। किसी राज्य विशेष के लिए अधिकतम सीमा 5 सदस्य प्रति राज्य रखी जा सकती है। इस से सिक्किम, गोवा, नॉर्थ-ईस्ट की आवाज मजबूत होगी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र को भी जनसंख्या संघों के 'सजा' नहीं मिलेगी। हां, यह अवश्य है कि UP, बिहार जैसे राज्यों को लगेगा कि उनके प्रदेश का प्रतिनिधित्व घटा।

एक अन्य विकल्प यह हो सकता है कि संविधान संशोधन कर राज्यसभा को योजनाओं पर पूर्ण बहस व सूचीकरणों का अधिकार दिया जाए। वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधेयक लोकसभा में ही पास होता है। राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है।

संविधान का अनुच्छेद 110 बदले बिना भी राज्य सभा में संसदीय समिति बनाकर को सभी 500 करोड़ से ऊपर की योजनाएं पहले राज्यसभा में विस्तृत बहस के लिए भेजी जा सकती हैं। इस से जिन राज्यों का असर राज्यों पर पड़ता है, उन पर राज्यों के सदन को पूर्व-समीक्षा का अधिकार मिले। इससे संघीय भावना बढ़ेगी। संसामुक्त बंटवारे में जित आयोग की सिफारिश पर राज्यसभा में बहस व समर्थन अनिवार्य हो।

लोकसभा सीटों का राज्यों में वितरण के लिए भी सिर्फ जनसंख्या से हटकर 'बहु-सूचकांक फॉर्मूला' अपनाया जा सकता। यदि केवल जनसंख्या को आधार मानें तो 10,15,20 लाख की जनसंख्या पर एक लोक सभा सीटें निर्धारित हो तो संख्या इस प्रकार हो सकती है:-1420, 940, 720। एक प्रस्ताव के अनुसार, 2026 के जनसंख्या के आधार पर संविधान में उल्लेखित कुल 543 की सदस्य संख्या का 50% अथवा अन्य कोई प्रतिशत जो संसद तय करे, उसके अनुसार, एक व्यक्ति एक वोट के अनुसार रखी जा सकती है। लोकसभा में 10% प्रतिनिधित्व क्षेत्रफल के आधार पर विभाजित किया जा सकता है जिस से राजस्थान जैसे बड़े पर कम घनत्व वाले राज्यों का महत्व मिलेगा।

अन्य बिंदु जिन का लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर ध्यान रखा जा सकता है, वे यह हो सकते हैं:- राजस्व एकत्रीकरण:- ---महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु को जोएसटी-आयकर में 15% ज्यादा देते हैं, उन्हें महत्व मिलेगा। विकास व्यय गति:- पिछले 10 साल में पूंजीगत व्यय के आधार पर अर्थात् राज्य में पैसा जमीन पर लगाया उसके आधार पर मानव विकास सूचकांक अर्थात् HDI + पिछड़ापन भी पैमाने में हो। केरल का 3% ऊंचा है तो उसे इनाम मिलना चाहिए। बिहार, झारखंड का कम है

टीवी चैनल पर सामने आए हैं।

एक प्रस्ताव है ---राज्यसभा में हर राज्य से 5,7 सांसद हों अर्थात् राज्य सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार न हो। राज्य सभा 'राज्यों का सदन' है। उदाहरणार्थ अमेरिका की सीनेट में हर राज्य से 2 सदस्य होते हैं, चाहे कैलिफोर्निया हो या अलास्का। इससे छोटे राज्यों को संघ में बराबरी मिलती है।

क्या भारत में इस पर, किसी अन्य प्रकार से विचार किया जा सकता है? एक आधार हो सकता है, 250 सीटों में से हर राज्य को 1 या 2 या 3 सीटें कुल 36/72/108 सीटें मिलें। वर्तमान संख्या 350 में से बाकी 214 /178/142 सीटें क्षेत्रफल 25%, राजस्व योगदान 25%, मानव विकास सूचकांक 25%, अनुसूचित क्षेत्र/सीमावर्ती 25% के आधार पर बांटी जा सकती है। किसी राज्य विशेष के लिए अधिकतम सीमा 5 सदस्य प्रति राज्य रखी जा सकती है। इस से सिक्किम, गोवा, नॉर्थ-ईस्ट की आवाज मजबूत होगी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र को भी जनसंख्या संघों के 'सजा' नहीं मिलेगी। हां, यह अवश्य है कि UP, बिहार जैसे राज्यों को लगेगा कि उनके प्रदेश का प्रतिनिधित्व घटा।

एक अन्य विकल्प यह हो सकता है कि संविधान संशोधन कर राज्यसभा को योजनाओं पर पूर्ण बहस व सूचीकरणों का अधिकार दिया जाए। वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधेयक लोकसभा में ही पास होता है। राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है।

संविधान का अनुच्छेद 110 बदले बिना भी राज्य सभा में संसदीय समिति बनाकर को सभी 500 करोड़ से ऊपर की योजनाएं पहले राज्यसभा में विस्तृत बहस के लिए भेजी जा सकती हैं। इस से जिन राज्यों का असर राज्यों पर पड़ता है, उन पर राज्यों के सदन को पूर्व-समीक्षा का अधिकार मिले। इससे संघीय भावना बढ़ेगी। संसामुक्त बंटवारे में जित आयोग की सिफारिश पर राज्यसभा में बहस व समर्थन अनिवार्य हो।

लोकसभा सीटों का राज्यों में वितरण के लिए भी सिर्फ जनसंख्या से हटकर 'बहु-सूचकांक फॉर्मूला' अपनाया जा सकता। यदि केवल जनसंख्या को आधार मानें तो 10,15,20 लाख की जनसंख्या पर एक लोक सभा सीटें निर्धारित हो तो संख्या इस प्रकार हो सकती है:-1420, 940, 720। एक प्रस्ताव के अनुसार, 2026 के जनसंख्या के आधार पर संविधान में उल्लेखित कुल 543 की सदस्य संख्या का 50% अथवा अन्य कोई प्रतिशत जो संसद तय करे, उसके अनुसार, एक व्यक्ति एक वोट के अनुसार रखी जा सकती है। लोकसभा में 10% प्रतिनिधित्व क्षेत्रफल के आधार पर विभाजित किया जा सकता है जिस से राजस्थान जैसे बड़े पर कम घनत्व वाले राज्यों का महत्व मिलेगा।

अन्य बिंदु जिन का लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर ध्यान रखा जा सकता है, वे यह हो सकते हैं:- राजस्व एकत्रीकरण:- ---महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु को जोएसटी-आयकर में 15% ज्यादा देते हैं, उन्हें महत्व मिलेगा। विकास व्यय गति:- पिछले 10 साल में पूंजीगत व्यय के आधार पर अर्थात् राज्य में पैसा जमीन पर लगाया उसके आधार पर मानव विकास सूचकांक अर्थात् HDI + पिछड़ापन भी पैमाने में हो। केरल का 3% ऊंचा है तो उसे इनाम मिलना चाहिए। बिहार, झारखंड का कम है

एक प्रस्ताव है ---राज्यसभा में हर राज्य से 5,7 सांसद हों अर्थात् राज्य सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार न हो। राज्य सभा 'राज्यों का सदन' है। उदाहरणार्थ अमेरिका की सीनेट में हर राज्य से 2 सदस्य होते हैं, चाहे कैलिफोर्निया हो या अलास्का। इससे छोटे राज्यों को संघ में बराबरी मिलती है।

क्या भारत में इस पर, किसी अन्य प्रकार से विचार किया जा सकता है? एक आधार हो सकता है, 250 सीटों में से हर राज्य को 1 या 2 या 3 सीटें कुल 36/72/108 सीटें मिलें। वर्तमान संख्या 350 में से बाकी 214 /178/142 सीटें क्षेत्रफल 25%, राजस्व योगदान 25%, मानव विकास सूचकांक 25%, अनुसूचित क्षेत्र/सीमावर्ती 25% के आधार पर बांटी जा सकती है। किसी राज्य विशेष के लिए अधिकतम सीमा 5 सदस्य प्रति राज्य रखी जा सकती है। इस से सिक्किम, गोवा, नॉर्थ-ईस्ट की आवाज मजबूत होगी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र को भी जनसंख्या संघों के 'सजा' नहीं मिलेगी। हां, यह अवश्य है कि UP, बिहार जैसे राज्यों को लगेगा कि उनके प्रदेश का प्रतिनिधित्व घटा।

एक अन्य विकल्प यह हो सकता है कि संविधान संशोधन कर राज्यसभा को योजनाओं पर पूर्ण बहस व सूचीकरणों का अधिकार दिया जाए। वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधेयक लोकसभा में ही पास होता है। राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है।

संविधान का अनुच्छेद 110 बदले बिना भी राज्य सभा में संसदीय समिति बनाकर को सभी 500 करोड़ से ऊपर की योजनाएं पहले राज्यसभा में विस्तृत बहस के लिए भेजी जा सकती हैं। इस से जिन राज्यों का असर राज्यों पर पड़ता है, उन पर राज्यों के सदन को पूर्व-समीक्षा का अधिकार मिले। इससे संघीय भावना बढ़ेगी। संसामुक्त बंटवारे में जित आयोग की सिफारिश पर राज्यसभा में बहस व समर्थन अनिवार्य हो।

लोकसभा सीटों का राज्यों में वितरण के लिए भी सिर्फ जनसंख्या से हटकर 'बहु-सूचकांक फॉर्मूला' अपनाया जा सकता। यदि केवल जनसंख्या को आधार मानें तो 10,15,20 लाख की जनसंख्या पर एक लोक सभा सीटें निर्धारित हो तो संख्या इस प्रकार हो सकती है:-1420, 940, 720। एक प्रस्ताव के अनुसार, 2026 के जनसंख्या के आधार पर संविधान में उल्लेखित कुल 543 की सदस्य संख्या का 50% अथवा अन्य कोई प्रतिशत जो संसद तय करे, उसके अनुसार, एक व्यक्ति एक वोट के अनुसार रखी जा सकती है। लोकसभा में 10% प्रतिनिधित्व क्षेत्रफल के आधार पर विभाजित किया जा सकता है जिस से राजस्थान जैसे बड़े पर कम घनत्व वाले राज्यों का महत्व मिलेगा।

तो उनको 'हैंड-होल्डिंग' के लिए सीटें बढ़ा कर दी जा सकती है। किस बिंदु को कितना भार देना है, यह संसद तय करे।

सीट कैसे तय हो:--- एक उदाहरण के जरिए हम यों समझे सकते हैं:--कुल 543 सीटें स्थिर रहें। हर राज्य का स्कोर 0.5x जनसंख्या अंश + 0.1x क्षेत्रफल अंश + 0.15 HDI के इंडेक्स के अनुसार +0.15 पिछड़ापन इंडेक्स के अनुसार...अथवा संसद द्वारा तय अन्य किसी अनुपात /वेटेज(महत्व, भार) में इन बिंदुओं को ध्यान में रख कर बनाया जाए और संसद से स्वीकृत हो। इस स्कोर पर सीटें बांटी जा सकती हैं। संतुलन के लिए 3 संवैधानिक सुरक्षा-कवच रखे जा सकते हैं। किसी भी राज्य की 1971 की सीटों से 10/20% से ज्यादा न घटे। इससे दक्षिण को परेशान मिलेगा। राज्यों के अधिकार क्षेत्र की सूची वाले विधेयक राज्यसभा में 2/3 बहुमत से ही पास हों अर्थात् कुछ मामलों में राज्यसभा को एक प्रकार का वीटो मिले।

दक्षिण-नॉर्थ-ईस्ट समूह का गठन किया जाए। लोकसभा-राज्यसभा में 10 से कम सीटें वाले राज्यों का एक वैधानिक 'संसदीय समूह' बने और उसे लोकसभा में एक स्वतंत्र ग्रुप की हैसियत मिले। उसे प्रश्नकाल और अन्य महत्वपूर्ण सवाल पर होने वाली बहसों में उस समूह को समूह की सदस्यों की संख्या के अनुसार अतिरिक्त समय मिले। इसके लिए दक्षिण-नॉर्थ-ईस्ट ग्रुप को विशेष प्रकार की संसदीय अनुमति मिले।

आगे का रास्ता 1. परिसीमन आयोग 2026: इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, लोक सभा और राज्य सभा में पक्ष व प्रतिपक्ष अथवा सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता द्वारा नामित एक एक सदस्य, केंद्रीय चुनाव आयोग के एक आयुक्त, नीति आयोग से एक सदस्य, राज्य के मुख्य सचिव आदि इसके सदस्य हों।

2. राष्ट्रीय बहस: 'जनसंख्या बनाम योगदान' पर सभी विधानसभाओं में प्रस्ताव पास कराएँ। 3. संविधान संशोधन: अनुच्छेद 81, 82, 80 में 'बहु-सूचकांक' शब्द जोड़ें। इसके लिए 2/3 बहुमत + प्रत्येक राज्यों की सहमति चाहिए।

निष्कर्ष यह माना जा सकता है कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाना और परिसीमन को अनिश्चित काल तक टालना नहीं जा सकता, पर 'सिर्फ हेड-काट' भारत जैसे संघीय देश में खतरनाक होगा। लोकसभा में 50% भार जनसंख्या को देकर बाकी 50% भार क्षेत्रफल, राजस्व, 3% पिछड़ेपन को दें। राज्यसभा को '1-5 फॉर्मूला' पर लाकर असली 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' बनाएँ और उसे योजनाओं पर बहस, संशोधनों का अधिकार दें। इससे UP-बिहार को बढ़ा प्रतिनिधित्व भी मिलेगा और तमिलनाडु-केरल को लगेगा कि उनके परिवार नियोजन की मेहनत बेकार नहीं गई। शक्ति संतुलन बचेगा, और संघीय ढांचा मजबूत होगा।

कुछ विद्वानों का यह भी सुझाव है कि निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दों पर बहस ध्यानाकर्षण, स्वतंत्र विधेयक प्रस्तुतीकरण आदि के लिए और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके लिए संसद की न्यूनतम अनिवार्य बैठकों के दिन, संख्या संविधान संशोधन कर लाजमी की जाएँ। ब्रिटेन की संसद व्यवहारिक रूप से हर साल 100 से 150 दिन बैठके

करती है। फ्रांस में जनता का चुनाव हुआ सदन कमसे कम 120 दिन बैठके करता है। जर्मनी का जनता से चुनाव सदन छुट्टियों को छोड़कर सदैव बैठता है। चीन की नेशनल पीपुल काँग्रेस साल में 1 बार 10 से 14 दिन बैठक करती है। रूस में दो सत्र होते हैं, जनवरी से जुलाई और सितम्बर से दिसंबर की अवधि में।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए भारत की संसद की बैठकों पर विचार करें तो देखते हैं कि 2019 ए 2024 के बीच 17 वीं लोकसभा 5 साल में 274 दिन बैठी अर्थात् 52 दिन सालाना औसत। 1952 से 1970 की अवधि में औसत 120 से 140 दिन सालाना बैठके हुईं और यह लोकसभा बैठकों का सर्वोत्तम औसत स्कोर है। 543 की सदस्य संख्या पर ही सांसदों को अपनी बात रखने का बहुत कम समय मिलता है तो यदि विशुद्ध जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाकर सदस्य संख्या बढ़ाने जाएँ तो लोकसभा व विधानसभाओं में सारे जनप्रतिनिधियों का क्या योगदान होगा, जब उन्हें पर्याप्त समय ही नहीं मिलेगा?? इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। संसद में ज्यादा अच्छे सुझाव, प्रस्ताव, विधेयक आएं, अच्छी गुणवत्ता वाली बहस हो तो यह लाजमी होगा कि सालाना बैठकों की संख्या बढ़े, शून्य काल का समय बढ़े, प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश करने के लिए दिन तय हो।

पार्टीयों को समय देने के बजाए समय सदस्यों को आवंटित किया जाए। पार्टियों तो बिल्कुल जारी करती हैं और कुछ चुने हुए सांसदों को ही बोलने का मौका देती हैं। बिल्कुल के कारण अधिकांश सांसदों के स्वतंत्र विचार, सुझावों से देश और सदन महरूम रह जाता है। एक अन्य सुझाव कई लोग देते हैं कि विधेयकों पर बहस के समय, बजट बहस के समय, सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव पर सदस्य अपने भाषण के दो भाग करें। सदन में मौखिक रूप से, वे अपने निर्धारित समय में केवल अपने भाषण, सुझावों के मुख्य बिंदु बोलें तथा उनके संबंध में विस्तृत उदाहरण, फैक्ट्स आदि लिखित भाषण में संसद के पटल पर प्रस्तुत करके जो सदन काखवाही विवरण में उनके भाषण का अंश हो जाए। इस से ज्यादा सांसदों को ज्यादा समय अच्छे सुझाव, अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को सदन में रखने का अवसर मिलेगा। एक चौकाने वाला आंकड़ा दक्षिण, 17 वीं लोकसभा में लगभग 50 बहस का समय केवल 15% सांसदों ने लिया, करीब 20% संसद 5 साल में एक बार भी नहीं बोले। और भी चौकाने वाला आंकड़ा देख लें, 16 वीं, 17 वीं लोकसभा में क्रमशः 16, 22 समय हंगामों में गया। कई लोगों का